

2025/624

FORM NO.111


फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर वनाम् पटवारी हल्का बुजकीडाणी

किस्म मुकदमा- विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर-356/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुय
17-10-25	<p>राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक "ग्रामीण सेवा शिविर" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यों में "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 19(7) राज-5/सम/2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान मौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 11...../भू.अ./2025 दिनांक 26/09/2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम <u>बुजकीडाणी</u> पटवारी हल्का <u>बुजकीडाणी</u> के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2192..... <u>रकबा 0.06</u>.....</p> <p>.....मे से जा रहे प्रचलित चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जगाबन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द मौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान् में से, फर्द मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का <u>बुजकीडाणी</u> को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशंभा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। विविध प्रार्थना पत्र</p>	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख
हुकम

हुकम या त्वावेवाही मस लक्षु हरतामर जम

17-10-25

प्रमाणित सरता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं अन्वयधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मस दरवावे-वात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मसन किया गया। जिससे पार्श्वी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अधिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिन्न-विधे मस प्रस्ताव को "तरीगीय शेवा शितिर" - 2025 के तहत पाम पत्रावत (अन्वयधिकार) में प्राप्त प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शागिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं रजिस्टर नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों वाबत राजस्व अधिलेख में जसिधे नामान्तकरण सरते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए सरते के रकबे की तिरम गैर मुमकीन सरता दर्ज की जावें एवं नक्शों में उक्तानुसार तरगीय की जावें। गैर मुमकीन सरते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातों ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित सरता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलिय/अपर/सिविल/राजस्व गण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकगील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)